

उत्तराखण्ड शासन  
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1  
संख्या- 462 /XIV-1/2018-09(02)2013टी0सी0-2  
देहरादून, दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-421/XIV-1/2018-03(07)/2010 दिनांक-02 अप्रैल, 2018 को अवकमित करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना/विज्ञप्ति संख्या-352/XXX-1-18-15(27)/2016 दिनांक-05 अप्रैल, 2018 के अनुक्रम में सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-557/XIV-1/2013-09(2)/2013 दिनांक-22 मार्च, 2013 में निहित प्राविधानानुसार गठित "उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" में रिक्त अध्यक्ष पद पर श्री तुलसी राम, पुत्र श्री बचनू राम, सेवा निवृत्त, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार नामित अध्यक्ष पद की सेवा शर्तें एवं अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)  
सचिव।

संख्या:- 462(1)/XIV-1/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9. तुलसी राम, पुत्र श्री बचनू राम, 210, ट्रान्जिट हास्टल, रेसकोर्स, देहरादून।
10. सचिव, उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, लि0 हल्द्वानी।
12. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)  
सचिव।